

कार्यालय कलेक्टर, जिला - कोण्डागांव, छत्तीसगढ़
(आदिवासी विकास शाखा)

// प्रेस विज्ञप्ति //

क्रमांक/आ0वि0/शि.स्था./एकलव्य/ 608 /2020-21 कोण्डागांव, दिनांक -19/06/2020
जिला कोण्डागांव अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा संचालित संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय गोलावण्ड(वर्तमान में संचालित) विकासखण्ड कोण्डागांव एवं नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बेडमा, विकासखण्ड केशकाल तथा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चिचाडी विकासखण्ड फरसगांव, जिला कोण्डागांव में अध्यापन एवं कार्यालयीन कार्य हेतु शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अतिथि शिक्षक/गैर शिक्षकीय पद पर नियुक्ति अस्थायी रूप से किया जाना है।

अतः इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 06.07.2020 सांय 5.30 बजे कार्यालयीन समय तक कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा कोण्डागांव में पंजीकृत डाक से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उम्मीदवारों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जावेगा। विषयवार पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र 0	विषय	पद संख्या	आरक्षण का विवरण	निर्धारित योग्यता	मानदेय
1	2	3	4	5	6

- एकलव्य संयुक्त आदर्श आवासीय विद्यालय गोलावण्ड(वर्तमान में संचालित) वि०ख० कोण्डागांव,
- नवीन एकलव्य आवासीय विद्यालय बेडमा, वि०ख० केशकाल,
- नवीन एकलव्य आवासीय विद्यालय चिचाडी, वि०ख० फरसगांव, जिला कोण्डागांव

शिक्षक (टी०जी०टी०)					
01	कला	02	02-अ.ज.जा.	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50प्रतिशत अंक के साथ संबंधित विषय में स्नातक उत्तीर्ण एवं बी.एड की उपाधि।	200/-प्रति कालखण्ड तथा प्रतिदिन 04कालखण्ड
02	गणित	03	01- अ.ज.जा. 01-अन्यपि०वर्ग 01- अनारक्षित		
03	विज्ञान	03	01- अ.ज.जा. 01-अन्यपि०वर्ग 01- अनारक्षित		
04	संगीत शिक्षक	01	01- अनारक्षित	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50प्रतिशत अंक के साथ संगीत विषय में स्नातक उत्तीर्ण एवं तबला, ढोलक, हारमोनियम, का ज्ञान	150/-प्रति कालखण्ड तथा प्रतिदिन 04कालखण्ड
05	शिक्षक शारीरिक शिक्षा	01	01- अनारक्षित	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50प्रतिशत अंक के साथ शारीरिक शिक्षा विषय में स्नातक (बी०पी०एड०) उत्तीर्ण।	150/-प्रति कालखण्ड तथा प्रतिदिन 04कालखण्ड
गैर शिक्षकीय					
06	स्टाफ नर्स	03	01-अनारक्षित 01- अ.ज.जा. 01- अन्यपि०वर्ग	बी.एस.सी.नर्सिंग का 04वर्षीय डिग्री एवं छ०ग०नर्सिंग काउंसिलिंग में पंजीयन व 02 वर्ष का अनुभव	500 रुपये प्रतिदिन
07	कम्प्यूटर आपरेटर	03	01-अनारक्षित 01- अ.ज.जा. 01- अन्यपि०वर्ग	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डी.सी.ए/पी.जी.डी.सी.ए. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। शासकीय कार्यालय में कार्य करने का अनुभव	उच्च कुशल श्रेणी, कलेक्टर द्वारा निर्धारित मजदूरी दर
08	प्रयोगशाला परिचालक	01	01- अनारक्षित	विज्ञान संकाय में कक्षा 12वीं 50प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण। अनिवार्य योग्यता - बायोलॉजी, फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषय का होना अनिवार्य।	अर्द्ध कुशल श्रेणी, कलेक्टर द्वारा निर्धारित मजदूरी दर

22

कमश: / /

11. उपरोक्त पदों हेतु अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8

12. वर्तमान तथा पूर्व नौकरी (केवल शासकीय) का विवरण यदि हो तो :-

क्र.	कार्यालय का नाम	कार्य का प्रकार	अवधि		
			से	तक	कुल अवधि
1	2	3	4	5	6

13. कार्य का अनुभव :-
(कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

14. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

1..... 2..... 3.....
4..... 5..... 6.....
7..... 8..... 9.....

// घोषणा-पत्र //

मैं घोषणा करता /करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है। आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी या सूचना गलत/असत्य पाये जाने पर उक्त आवेदित पद के लिए मेरे उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना ही मेरे सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। मैं इस बाबत किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति नहीं करने का वचन देता/देती हूँ।

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक का हस्ताक्षर

पूरा नाम:-

एवं पता:-

मोबाईल नम्बर :-

टीप :- आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि के बाद अर्जित योग्यता मान्य नहीं होग। उपरोक्त कंडिका से संबंधित प्रमाण पत्र ही संलग्न करें। संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रों को निर्धारित क्रम में रखा जावे।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय.....वि०ख०.....जिला कोण्डागांव हेतु
आवेदन पत्र का प्रारूप

- (1) आवेदित पद का नाम :-
- (2) संस्था का नाम :-
- प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोण्डागांव
जिला कोण्डागांव छ०ग०

1. आवेदक का पूरा नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. वर्तमान पता :-
4. स्थायी पता :-
5. राष्ट्रीयता :-
6. जन्म तिथि अंको में :- दिनांक माह वर्ष
7. दिनांक 01.01.2020 को
आयु(पुष्टि हेतु हाईस्कूल का
प्रमाण पत्र संलग्न करें) :- वर्ष माह दिन
8. जन्म स्थान तथा राज्य :- राज्य
- (केवल छ०ग०के मूल
निवासी आवेदन करें)
9. रोजगार कार्यालय का
नाम जीवित पंजीयन :-
- क्रमांक एवं दिनांक
10. जाति(संबंधित बॉक्स :-
- में ✓ लगाये) :-

अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य

नियम एवं शर्तें :-

1. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक रिक्त पद पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। अभ्यर्थी नियमितिकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. आवेदक जिला कोण्डागांव का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
3. कोण्डागांव जिले के जिले को प्राथमिकता दी जावेगी। जिले के निवासी उपलब्ध न होने की स्थिति में ही अन्य जिले के अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा।
4. आवेदक का रोजगार संबंधी जीवित पंजीयन का होना अनिवार्य है।
5. अतिथि शिक्षक / गैर शिक्षकी पदों की नियुक्ति शैक्षणिक अर्हता अनुसार मेरिट के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु की जा रही है।
6. शिक्षकीय पद हेतु एम.एड/बी.एड के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।
7. स्टाफ नर्स के पद हेतु न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
8. डाटाइन्ट्री ऑपरेटर पद के लिए अनुभव लाभ केवल शासकीय कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेगे।
9. अभ्यर्थी को संस्थावार/पदवार पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में संस्था/पद का नाम उल्लेखित नहीं होने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
10. चयनित किये उम्मीदवार निर्धारित अवधि में कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में अथवा बीच में कार्य छोड़कर जाने की स्थिति में मेरिट क्रम से अगले अभ्यर्थी को अवसर दिया जावेगा।
11. आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियम-निर्देशों के तहत छूट की पात्रता होगी।
12. चयनित उम्मीदवार को संस्था में ही निवास करना होगा, तथा अपने भोजन एवं बिस्तर आदि की व्यवस्था स्वयं को करनी होगी।
13. चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरोक्त स्वीकृत एकलव्य आवासीय विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार की जावेगी।
14. आवेदन के संबंध में जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप जिले के वेबसाईड kondagaon.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।
15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर, जिला कोण्डागांव निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। (कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव,
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान
समिति जिला कोण्डागांव
कोण्डागांव, दिनांक -19/06/2020

पृ.क्र./आ0वि0/शि.स्था./एकलव्य/609/2020-21
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. जिला सूचनोपचार विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ/पालनार्थ। प्रेस विज्ञप्ति/आवेदन प्रारूप जिले के वेबसाईड पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ।
5. सहायक संचालक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं जनहित में स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
6. प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय गोलावण्ड(वर्तमान में संचालित) कोण्डागांव, नवीन बेडमा, केशकाल एवं नवीन चिचाडी, फरसगांव, जिला कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव,
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान
समिति जिला कोण्डागांव